संपादकीय जागरण

सोमवार, 23 अप्रैल, 2018 : वैशाख शुक्ल 8 वि. 2075

निजी हित अक्सर समाज का अहित करते हैं

रिश्ते सुधारने का मौका

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के पहले भारतीय प्रधानमंत्री के चीन जाने की घोषणा इस बात का परिचायक है कि दोनों देश संबंधों में सुधार के लिए इच्छुक हैं। वैसे तो भारतीय प्रधानमंत्री को आगामी जून में इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाना था, लेकिन अब वह इसी माह के अंत में दो दिन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनका एकमात्र एजेंडा चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर मतभेदों को दूर करना और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अच्छी बात यह है कि चीन यह प्रतिबद्धता जता रहा है कि वह भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को सफल बनाने के हरसंभव प्रयास करेगा। यह तो दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि संबंध सुधार की पहल कितनी आगे बढ़ी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि चीन ने भारतीय प्रधानमंत्री को तय कार्यक्रम के पहले अपने देश बुलाना बेहतर समझा। भारत और चीन के रिश्ते में खटास किसी से छिपी नहीं है। पिछले वर्ष डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं जिस तरह आमने-सामने आ खड़ी हुई थीं उससे पूरी दुनिया में इन दो एशियाई देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका फैल गई थी। यह अच्छा हुआ कि पहले चीन ने डोकलाम में अपने कदम पीछे खींच कर भारत की चिंताओं को समझने के संकेत दिए और फिर भारत ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा के भारत आगमन के सिलसिले में आयोजित समारोहों में अपनी भागीदारी सीमित करके यह संदेश दिया कि वह भी चीन की चिंताओं की परवाह करता है।

यह भी स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच कई ऐसे मसले हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दशकों पुराना सीमा विवाद जहां का तहां अटका हुआ है और उसे सुलझाए बगैर चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय भूभाग से आर्थिक गलियारा बनाने में जुट गया है। यह सीधे-सीधे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि अब चीन को यह अहसास हो गया है कि वह इस गलियारे के मामले में भारत की आपत्तियों का समाधान किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा यह होगा कि वह इस बात को भी समझे कि वह भारत की प्रगति की राह का रोड़ा बनकर संबंधों में सुधार नहीं ला सकता। बात चाहे नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता में अड़ंगा लगाने की हो अथवा भारत के लिए खतरा बने उन आतंकी सरगनाओं को कवच देने की हो जो पाकिस्तान में संरक्षित हैं, चीन को यह समझने की जरूरत है कि वह भारत के प्रति एक तरह से शत्रुतापूर्ण भाव को ही प्रकट कर रहा है। चीनी नेतृत्व को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि आज भारत को चीन की जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक जरूरत उसे भारत की है और इसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब दोनों देश एक-दूसरे की वाजिब चिंताओं को न केवल समझेंगे, बल्कि उनका समाधान भी करेंगे। चीन को यह समझ आ जाना चाहिए कि वह भारत से उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता जैसे कि वह अपने कई छोटे पड़ोसी देशों के साथ करने में लगा हुआ है।

पहले खामियां दूर हों

प्रदेश में भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) जितने जोर-शोर से शुरू किया गया, उतनी ही तेजी से लोगों को निराश भी करना शुरू कर दिया है। इस वेबसाइट को इतना जटिल और इससे सूचनाएं प्राप्त करना इतना पेचीदा बना दिया गया है कि आम आदमी चाह कर भी इसको ठीक से समझ नहीं पाता। इसी का फायदा उठाकर कुछ बिल्डर झूठी सूचनाएं देकर रेरा में पंजीकरण की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। प्राधिकरण की जांच में अधिकांश प्रोजेक्ट की जानकारियां सही नहीं निकल रही हैं। सवाल है कि आखिर रेरा में वह कौन सी कमी रह गई है, जिसका फायदा उठाकर बिल्डर्स गलत सूचनाएं देकर पंजीकरण करा रहे हैं। यहां तक कि कुछ की तो जमीनों का भी अता-पता नहीं है, फिर भी उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि मामले में सरकार सजग हो गई है और वेबसाइट में व्यापक तकनीकी बदलाव करने जा रही है।

जिलेवार प्रोजेक्ट का पूरा ब्योरा सामने होना चाहिए, ताकि खरीदार संबंधित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी आसानी से हासिल कर सके

वास्तव में रेरा को सशक्त और इस वेबसाइट को जनोपयोगी बनाना है तो रेरा अधिकारियों को बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर उतर कर काम करना होगा। मसलन वेबसाइट में सबसे पहले आम लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट का सामान्य नियम क्या है। डुप्लेक्स या मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के मानक क्या हैं? कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया क्या होता है। फ्लैट की हाइट कम से कम क्या होनी चाहिए और बिल्डर्स फ्लैट में कम से कम क्या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जिलेवार प्रोजेक्ट का पूरा ब्योरा सामने होना चाहिए, ताकि खरीदार संबंधित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी आसानी से हासिल कर सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कुछ दलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कवायद राजनीति से प्रेरित है?

आज का सवाल

क्या कानून में फांसी की सजा का प्रावधान होने से बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में कमी आएगी?

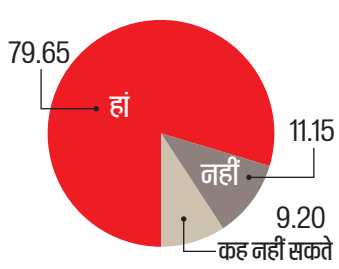

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कानून के साथ समाज भी दिखाए सक्रियता

हृदयनारायण दीक्षित

कानून का कठोर होना अच्छी बात है। कानून का भय होना और भी अच्छी बात है, लेकिन समाज का मूकदर्शक हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है

दुष्कर्म दंडनीय ही नहीं होते। वे समाज के लिए पीड़ादायक होते हैं। वे राष्ट्र के लिए लज्जा और गहन व्यथा का विषय भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश के बाहर लंदन में भी इन घटनाओं को लज्जाजनक बताया है। वह देश लौटे, उसी दिन मंत्रिपरिषद बैठी जिसने 'क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्यादेश' पर सर्वसम्मति से सहमति दी। राष्ट्रपति ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। इसी तरह बैंक से ऋण लेकर विदेश भागने वालों से कर्ज वसूली के लिए संपत्ति जब्ती के 'दि फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अध्यादेश 2018' पर भी मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई। इसके पहले निर्भया कांड ने देश को विचलित किया था। इस संदर्भ में भी विधि संशोधित की गई थी। किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की गई थी। पास्को अधिनियम में पहले ही सख्ती की जा चुकी है। राजव्यवस्था और विधायिका अपना कर्त्तव्य निभा रही हैं, लेकिन राजनीति अपनी राह है। आरोपों-प्रत्यारोपों की आंधी है। समाज सन्न, स्तब्ध और कर्त्तव्य विमुख है। दुष्कर्म सामाजिक विफलता है। बच्चों का अपराधी बनते जाना समाज व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का सुबूत है।

कानून का कठोर होना अच्छी बात है। कानून का भय होना और भी अच्छी बात है, लेकिन समाज का मूकदर्शक हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुप्तकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। उसने 'फो-क्यो-की' में लिखा था, 'भारत के लोग सुखी समृद्ध हैं। गुप्त काल में चोरी-डकैती का भय नहीं है। शासन सौम्य है। अपराधों की गुरुता के आधार पर दंड हैं।' मेगस्थनीज ने भी 'इंडिका' में भारतीय समाज की प्रशंसा की थी। बुद्ध ने उत्तरदायी शासन के लिए वृद्धों के विचार को महत्व, स्त्री सम्मान व धर्म में विश्वास आदि सात सूत्र बताए थे। आधुनिक भारतीय समाज की चेतना से ये तीन प्रमुख सूत्र गायब हैं। बाजार संचालित समाज में मुनाफा और उपयोगिता ही स्वर्णसूत्र हैं। वरिष्ठ, वृद्ध, आचार्य और माता-पिता अनुपयोगी है। संप्रति स्त्री सम्मान कोई मूल्य नहीं है। स्त्रियों पर उपयोगितावाद का सिद्धांत ही लागू है। प्रामाणिक युवा का निर्माण माता, पिता, आचार्य, नेता और समाज का दायित्व है। संस्कारी मनुष्य के निर्माण में राजव्यवस्था की भूमिका नगण्य होती है। जघन्य अपराधों की बढ़ोतरी कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती। अपराधवृद्धि के तमाम कारण होते हैं। इसलिए अपने सदस्यों को उच्चतर जीवन आदर्श देना समाज की ही जिम्मेदारी है, लेकिन समाज तटस्थ है।

प्राचीन भारत में राजव्यवस्था मुक्त एक समाज था। महाभारत (भीष्म पर्व) में संजय बताते हैं, 'यहां कोई राजा नहीं, कोई दंड नहीं और दंड देने वाला भी नहीं - न तत्र राजा, न दण्डो, न च दण्डिकः। समाज के लोग अपना अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं।' वामपंथियों की कल्पना वाला 'राज्यविहीन समाज' यहां इतिहास का अनुभव है। महाभारत में ऐसे चार जनपदों के नाम हैं - मंग, मशक, मानस और मगंद। कम से कम शासन हरेक राजव्यवस्था का आदर्श है, लेकिन अधिक से अधिक संस्कारशील पीढ़ी का निर्माण समाज व्यवस्था का ही आदर्श है। समाज निर्माण की मूलभूत संस्था परिवार है। आदर्श परिवार की मूल संस्था विवाहित पति पत्नी हैं। ऋग्वेद में दोनों का साझा नाम है दंपती। दोनो का मन मिलाना अग्नि देवता का कर्त्तव्य है। ऋग्वेद के तमाम मंत्रों में दोनों मिलकर 'सोम निचोड़ते हैं। साथ-साथ काम करते हैं। साथ-साथ आनंदित रहते हैं। इसी सहकार की उपलब्धि है संतान। यहां देवों से प्रार्थना है-हमें वैसे ही प्यार समृद्धि दो जैसे पिता देते हैं।' यहां देवों से भी पिता के अनुसार आचरण की प्रार्थना है। पिता बड़ा है और देव छोटे।

अवधेश राजपूत

प्राचीन भारतीय समाज में माता-पिता की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, 'आकाश से ऊंचा क्या? उत्तर मिला-पिता। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, 'माता पृथ्वी से भारी है' लेकिन आधुनिक समाज ने नई पीढ़ी के सामने माता-पिता को बोझ सिद्ध किया है। पिता मनचाहे प्रेम में बाधा है। वह 'लिव इन रिलेशन' में टांग अड़ाता है। माता-पिता देर रात घर आने वाले बच्चों को डांटते हैं। बच्चे दोनों को स्वतंत्रता का बाधक मानते हैं। शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा और आयातित सभ्यता के आदर्श हैं। युवा मन पर सिनेमा का प्रभाव बढ़ा है। नायक नायिकाएं माता पिता को डांटते दिखाई पड़ते हैं। नई पीढ़ी संरक्षकविहीन है और माता पिता असहाय। शिक्षा संस्कार नहीं देती। भय, लज्जा और ग्लानि सामाजिक सुधार के तीन प्रमुख मानस तत्व हैं। तीनों सिरे से गायब हैं। समाज ने कर्त्तव्य नहीं निभाया। आयातित जीवनशैली का हमला है। भूमंडलीकृत जीवन में बाजार ही सम्राट है।

कड़े कानून स्वागतयोग्य हैं। आदर्श विधि व्यवस्था भी समाज की स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन विधि व्यवस्था भी आदर्श समाज व्यवस्था की प्यासी होती है। विधि, विधेयक, अधिनियम व परंपरा को सम्मान देने वाले समाज का निर्माण सामाजिक दायित्व है। पूर्वजों ने यही किया था। स्वाधीनता संग्राम के पहले देश में समाज सुधार के अनेक शक्तिपीठ थे। दयानंद, विवेकानंद, गांधी, तिलक, राजा राममोहन राय, डॉ. आंबेडकर, डॉ. हेडगेवार आदि संस्कृति का संवर्धन कर रहे थे। संप्रति प्रवचनकर्ता बढ़े हैं, प्रवचनों में भीड़ है। वे ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन प्रामाणिक मनुष्य के निर्माण पर तटस्थ हैं। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' लिखा। वह सशक्त राष्ट्र राज्य के पक्षधर थे। उन्होंने 'आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति चार विद्या बताई हैं। सांख्य योग आदि दर्शन आन्वीक्षकी हैं। तीन वेद त्रयी है। 'वार्ता' कृषि पशुपालन, खनिज आदि की समृद्धि है। चौथी 'दंडनीति' कानून है। सबकी उपयोगिता है। मूलभूत प्रश्न है कि हमारा समाज प्रथम तीन की जिम्मेदारी न लेकर केवल दंडनीति से ही भारत को कैसे महान बना सकता है?

भारत का मन कभी भी हिंसक नहीं रहा, लेकिन पीछे तीन दशक से यहां हिंसा व तनाव का वातावरण है। बीती सदी के अंत में अमेरिका में भी ऐसा ही वातावरण था। आज भी कमोबेश वैसा ही है। तब 'हॉर्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू' पत्रिका ने 'हिंसा और नौजवान' विषय पर विशेषांक निकाला था। इसकी तमाम बातें भारत के वर्तमान संदर्भ में मिलती जुलती हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वान चोम्स्की ने अमेरिकी अर्थशास्त्री सिल्विया एन ह्यूलेट की पुस्तक 'धनी समाजों में बच्चों की उपेक्षा' का उल्लेख किया है। संपादक ने पूछा कि 11 साल का बच्चा महंगे जूतों के लिए दूसरे बच्चे को क्यों मार देता है? चोम्स्की ने कहा टीवी बताता है कि यह जूता जिसके पास है वही मर्द है। बच्चे 11 से 12 घंटे टीवी से चिपके हैं। स्कूलों में लड़कियों को छेड़ते हैं। अध्यापक डांटने के बजाय स्कूल के बाहर मिलने का परामर्श देते हैं। टीवी अमेरिका में महत्वपूर्ण गुरु है तो भारत में भी। यहां भी बच्चे टीवी भरोसे हैं। आचार्य, माता, पिता, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आएं। भारतीय समाज का सांस्कृतिक चैतन्य जागृत करें। सामाजिक मर्यादा का भय हो। तभी कानून का भय भी होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

सुस्त संसद से पस्त पड़ा लोकतंत्र

राजकिशोर

जब हमारा देश तमाम चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब संसद में कायम हुई शांति एक सामूहिक राजनीतिक षड्यंत्र नजर आती है

संसद का बीता बजट सत्र पिछले एक दशक में सबसे अधिक निराशाजनक रहा। इस सत्र के दौरान 31 बैठकें होनी थीं। कम से कम 28 विधेयक लोकसभा में और 39 विधेयक राज्यसभा में पारित होने वाले थे, लेकिन दोनों सदनों की उत्पादकता अपने निम्नतम स्तर पर रही। इस दौरान लोकसभा में महज 15 प्रतिशत कामकाज हुआ तो राज्यसभा में सिर्फ 35 प्रतिशत। एक अंग्रेजी दैनिक के अनुसार, इस सत्र में लंबी-लंबी अवधि तक संसद के ठप रहने के कारण कम से कम 190 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। संसद का समय नष्ट होने की परिभाषा क्या है? सामान्यतः माना जाता है कि सांसदों को स्कूल के छात्रों की तरह शांत और अनुशासित रहना चाहिए और सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर अपनी बात रखनी चाहिए। उनकी कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रत्येक सत्र में ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित हो सकें, क्योंकि संसद का एक दूसरा नाम विधायिका है और विधायिक का काम विधान बनाना है। कम से कम हर सरकार यही उम्मीद करती है।

लेकिन यह धारणा कितनी सही है? अगर संसद का काम सिर्फ कानून पास करना है, तो जनता की समस्याओं और तकलीफों को किस मंच पर उठाया जाएगा? अगर देश में कहीं आदिवासियों पर गोली चलाई गई है, तो इस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है या जीएसटी पर संसद की मुहर लगवाना? यह एक भ्रम है कि संसदीय प्रक्रिया में बाधा नहीं पड़नी चाहिए और जो व्यवधान डालते हैं, वे संसद का समय नष्ट करते हैं। वास्तव में संसद को राष्ट्र का दर्पण होना चाहिए और जिन चीजों से राष्ट्र व्यथित होता है, उनसे संसद को भी अशांत होना चाहिए। यह जरूर है कि फालतू के सिर-फुटव्वल में समय गंवाना कायदे की राजनीति नहीं है, लेकिन जब देश जल रहा हो, तब संसद में कायम हुई शांति एक सामूहिक राजनीतिक षड्यंत्र नजर आती है। हमें तो शिकायत यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में संसद उतनी अशांत नहीं होती जितना उसे होना चाहिए। जब भी कोई किसान आत्महत्या करता है, तब संसद का विशेष सत्र आयोजित करना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? एक समस्याग्रस्त देश में शांति की अपेक्षा कोलाहल ज्यादा लोकतांत्रिक है। इसलिए जब संसद ठप हो जाती है, तो यही मानना चाहिए कि तब भी वह अपना काम कर रही है। जैसे कई बार चुप्पी ही बोलना हो जाती है, वैसे ही ठप संसद चलती हुई संसद की तुलना में ज्यादा काम कर रही होती है।

संसद का ठप होना अक्सर सरकार की किसी जिद को व्यक्त करता है। संसद जब ठीक से नहीं चल रही होती है, तभी उसमें गतिरोध आता है। यह ठीक है कि बात-बात पर

सदन को ठप कर देना और काम न होने देना अच्छी बात नहीं है। इससे राजनीतिक दलों की अगंभीरता का पता चलता है, लेकिन हिसाब जोड़ कर यह बताना कि संसद के एक दिन चलने पर इतना रुपया खर्च होता है, लोकतंत्र को व्यावसायिक दृष्टि से देखना ही है। आधुनिक लोकतंत्र एक खर्चीला माध्यम है। संसद के समय की फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए, पर इस डर से कि संसद का एक-एक मिनट कितना कीमती है, जरूरी बहस से बचने की भी कोई जरूरत नहीं है।

यह बात समझ में नहीं आती कि हमारी संसद के सत्र इतने कम दिनों के क्यों होते हैं? क्या संसद का सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि सरकार को उसमें कुछ विधेयकों को पारित कराना है? संसदीय लोकतंत्र के प्रति यह बहुत ही तकनीकी नजरिया है। संसद का मुख्य काम विधेयकों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना है, लेकिन संसद का यह काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर गंभीर चर्चा की जाए। जरूरी नहीं कि यह चर्चा किसी विधेयक पर विचार करने के दौरान ही हो। प्रत्येक सत्र में कुछ दिन ऐसे रखे जा सकते हैं जब किसी खास विषय पर चर्चा हो। उदाहरण के लिए, किसानों की आत्महत्या, महंगाई, शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं, उत्पादन में कमी जैसे दर्जनों विषयों पर हमारे सांसद मिल-जुल कर विचार कर सकते हैं। बेशक ऐसी चर्चाओं के लिए काम रोको, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के रूप में पहले से प्रावधान हैं, लेकिन इन प्रावधानों का प्रभावशाली उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उम्मीद कम ही है कि ऐसे विचार-दिनों का सार्थक उपयोग हो सकेगा, लेकिन लोकतंत्र ही वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उम्मीद की कड़ी कभी टूटती नहीं है।

इसका एक विकल्प या विस्तार यह है कि किसी खास समस्या पर विचार करने के लिए विशेष सत्र बुलाए जाएं। ये सत्र एक हफ्ते के भी हो सकते हैं या कई दिनों के भी। तीन साल पहले डॉ. आंबेडकर की याद में संविधान निर्माण दिवस संसद में मनाया गया था, जिसके दौरान प्रधानमंत्री के मुख से यह अमूल्य वाक्य निकला कि संविधान ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। वर्तमान परिस्थिति में एक विशेष सत्र भारत-पाकिस्तान संबंधों पर विचार करने के लिए बुलाया जा सकता है। अभी हमें जो कुछ थोड़ा-बहुत पता है, वह सरकार के रुख को लेकर है। अन्य पार्टियां इस विषय पर क्या सोचती हैं, इसका हमें अहसास तक नहीं है। विषय-केंद्रित सत्रों से और कुछ हो या नहीं, इतना तो होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न समस्याओं के बारे में सोचने तो लगेंगे। इस समय हमारी राजनीति में मुद्दों का दुखद अभाव नजर आता है। समूची सोच दल, जाति, धर्म आदि के इर्द-गिर्द सिमट गई है।

राजनीति को शासन की ऐसी पद्धति कहा गया है जो विचार-विमर्श और बहस पर आधारित होती है, लेकिन भारत की राजनीति से तो विचार ही गायब होता नजर आ रहा है। झड़प ज्यादा होती है, बहस कम। फिर संसद की सक्रियता का क्या मतलब है? जाहिर है, इस वातावरण को बदलने की जरूरत है। संसद के जागरूक सदस्यों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ध्यान और प्रार्थना

ध्यान क्या है? ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर है? आज के इस युग में इसकी उपादेयता क्या है? ध्यान ईश्वर प्राप्ति का अर्थात आत्म साक्षात्कार का और मानसिक अशांति को दूर करने वाला सबसे सबल माध्यम है। ध्यान मुक्ति का मार्ग है। ध्यान ऊर्जा संवर्धन की विधि है। ध्यान धर्म का एक प्रमुख आयाम है, जिसके जरिये साधक ईश्वर को बाहर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर ही खोजा करता है। ध्यान चित्त की बेचैनी को दूर करने वाली एक विधि है।

प्रार्थना और ध्यान में बुनियादी फर्क है। प्रार्थना में ईश्वर से व्यक्ति मांग करता है। प्रार्थना की प्रक्रिया में साधक ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखता है। इसमें वह ईश्वर को खोजता नहीं है और न ही आत्म साक्षात्कार करता है, किंतु ध्यान की प्रक्रिया में साधक ईश्वर को अपने अंदर ही तलाश करता है। प्रार्थना में यह पहले से ही मान लिया जाता है कि एक सर्वोच्च अदृश्य सत्ता है, परमात्मा है और साधक नतमस्तक हो उससे दया की याचना करता है। जबकि ध्यान की प्रक्रिया के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह अंदर ही है। आपके अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व ईश्वर का ही लघु रूप है। ध्यान आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सेतु है। प्रार्थना आस्था मूलक व विश्वास मूलक है, किंतु ध्यान की प्रक्रिया इसके अतिरिक्त प्रयोग मूलक भी है।

आज का युग तनावों, कुंठाओं से भरा हुआ है। इस भौतिकवादी युग में पैसा ही भगवान बन गया है। लोग एक दूसरे को धकिया कर आगे निकल जाना चाहते हैं। स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ और मोह के चलते व्यक्ति का चित्त अशांत हो गया है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों के पास पैसा है, वे भी दुखी हैं और जिनके पास नहीं है, वे भी दुख संत्रस्त हैं। आपको यह बात मालूम है कि दुनिया के सर्वाधिक विकसित समृद्ध और संपन्न देश अमेरिका में लोग भारत से कहीं ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। मनुष्य की ये समस्त बेचैनी उसके चित्त के अस्थिर होने के कारण है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है। उसकी शारीरिक, मानसिक क्षमताएं बढ़ सकती हैं, उसके जीवन में आशा का संचार हो सकता है। मेरा तो कहना यही है कि आज के युग में ध्यान की जितनी उपादेयता है उतनी पहले कभी नहीं रही। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान से बढ़कर कोई औषधि नहीं है।

योगी रमेश जी महाराज

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

महाभियोग राजनीति से प्रेरित

राजनीति का नया हथकंडा-महाभियोग शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कांग्रेस की अगुआई में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताना इस दृष्टि से तर्कसंगत लग रहा है कि इस महाभियोग की पृष्ठभूमि में जनहित के बजाय कांग्रेस और भाजपा की आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अधिक नजर आ रही है। जज लोया की स्वाभाविक मौत की घटना को तीन वर्ष बाद संदेहास्पद बताना और फिर योजनाबद्ध रूप से इसकी विशेष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देना सत्तासीन भाजपा के विरुद्ध की जाने वाली किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नजर आता है। इस मामले में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा रुख दिखाया उससे बौखलाए विपक्षी पैरोकारों की मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की हिमाकत ने इस साजिश को और अधिक पुख्ता कर दिया। इससे पहले कांग्रेसी शासन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक घात-प्रतिघात होता था, लेकिन उसमें इस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं घसीटा जाता था। वर्तमान में सत्तासीन भाजपा के विरुद्ध प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की जिस सीमा का उल्लंघन किया है, वह राष्ट्रघाती है। राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार के महासागर में एक न्यायपालिका ही थी जिस पर देश विश्वास कर सकता था, लेकिन विद्वेषपूर्ण राजनीति से प्रेरित इस महाभियोग से न्यायपालिका की यह जन विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ गई है। इस दृष्टि से विपक्ष की यह राजनीतिक चाल लोक विरोधी ही मानी जाएगी।

डॉ. वीपी पांडेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़

फांसी ही ठीक

निर्भया कांड के बाद जिस प्रकार देश में आक्रोश व विरोध को देखते हुए मौजूदा सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) को मंजूरी दी थी, उसको देखकर लगता था कि अब देश में दुष्कर्म की घटनाएं कम होंगी। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज फिर देश के कई भागों में दुष्कर्म की घटनाओं ने निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है। नए कानून के तहत अगर 12 साल तक की बच्ची सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती है तो अपराधी को उम्र कैद या मौत की सजा होगी।

मोहम्मद अली, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म

सेना की मजबूती

सेना किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। बाहरी देशों से वही रक्षा करती है। वह सीमा पर है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हाल ही में खबर आई की सरकार रक्षा बजट में कटौती करना चाह रही है। संसदीय कमिटी में सेना प्रमुख ने कहा था कि सेना के पास सिर्फ 32 प्रतिशत ऐसे हथियार हैं, जो आधुनिक हैं। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि जब सेना को ज्यादा पैसे की जरूरत है, उस स्थिति में पैसे की कटौती की योजना कहां तक उचित है? लंदन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं, लेकिन क्या उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमारे पास उचित संसाधन मौजूद हैं?

नीरज कुमार झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

पानी का आपातकाल

हैरानी की बात है कि जिस देश में हमेशा गर्मियों में प्याऊ खोलने की परंपरा रही है, वहीं आज यह आलम है कि लोग पानी के लिए एक दूसरे से लड़ मरने पर उतारू हैं। सरकार का नमामि गंगे इस दिशा में एक सराहनीय पहल है, लेकिन पानी सिर्फ सरकार की जरूरत तो नहीं। यह हम सभी की अहम जरूरत है और जल बचाने की पहल को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।

nkibhatti93@gmail.com

कैबिनेट का अच्छा फैसला

केंद्रीय कैबिनेट ने बच्चियों से दुष्कर्म में फांसी की सजा के प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। देश में छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद उनकी हत्या करने का सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है। पिछले तीन साल में करीब एक लाख दुष्कर्म की घटना सामने आई हैं। भारत में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था भी लचर है। नए अध्यादेश के जरिए पॉक्सो कानून में संशोधन किया गया है। बच्चियों, किशोरियों और महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने और उनमें खौफ पैदा करने की जरूरत है। निर्भया कांड की सारी हैवानियत देश-विदेश ने देखी। घटना के बाद कठोर कानून तो बना, लेकिन देश में दुष्कर्म की घटना में कमी नहीं आई।

kantilalmandot@gmail.com

महिला सुरक्षा

केंद्र सरकार के अध्यादेश के अनुसार 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी, जिससे ऐसी घटनाओं में जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि देश के तीन राज्यों में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का पहले ही प्रावधान बन चुका था, लेकिन यही कानून पूरे देश के लिए पहले बना होता तो शायद देश में बच्चियों से ऐसी घटनाएं नहीं होती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। सरकार द्वारा बच्चियों को सुरक्षा व जागरूक करने के लिए देश के सभी स्कूल-कॉलेजों में महिला सुरक्षा संबंधित पाठ पढ़ाना चाहिए।

ru65519@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

रामचंद्र गुहा का कहना है कि मोदी का हश्र भी राजीव गांधी जैसा हो सकता है जो बहुत उम्मीदों के साथ सत्ता में आए, लेकिन निराशाजनक कार्यकाल के बाद विदा भी हो गए।

सदानंद धूमे@dhume

महाराष्ट्र पुलिस ने गढ़चिरौली में एक दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। ऐसे संघर्ष में हम अक्सर सेना और सीआरपीएफ को ही श्रेय देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी भी किसी नायक से कम नहीं।

विनायक जैन@vinayak_jain

आइपीएल में शनिवार का दिन वैसे तो बल्लेबाजों के कुछ हैरतअंगेज कारनामों के नाम रहा जिनमें लिन, गेल, केएल राहुल, पंत और एबी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन मैं इस दिन को ट्रेंट बोल्ट द्वारा एक हाथ से पकड़े गए जादुई कैच की वजह से याद रखूंगा।

आकाश चोपड़ा@cricketaakash

कुछ अर्थशास्त्रियों की शिकायत है कि देश में कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है और लोग अतीत की उपलब्धियों का राग अलाप रहे हैं। उन्हें बता दूं कि देश आइटी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान में झंडे गाड़ रहा है। भारतीय दर्शन और लेखकों की तूती बोल रही है। हां अर्थशास्त्र में जरूर न